

कागीलय निदेशक, गन्ना किसान संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र,  
 काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)  
 निविदा आमंत्रण प्रपत्र  
 ((निविदादाताओं द्वारा निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध))

विज्ञप्ति रो..... दिनांक ..... गृह्य रु0- 2000.00+जी0एस0टी0

**उद्घोषणा/कार्य का नाम :** निदेशक, गन्ना किसान संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के परिसर में स्थित याहरपीवारी की भरमाता तथा रंगाई पुताई कार्य, छात्रावारा के द्वितीय तल एवं मर्टी का मरम्मत तथा रंगाई पुताई कार्य, पम्प हाऊरा एवं विजली कक्ष की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य, कार्यालय परिसर के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन की छत की मरम्मत तथा वाटर प्रूफिंग कार्य एवं प्रेक्षागृह के दोनों प्रवेश द्वारों पर जाली का दरवाजा लगाना व पिछले हिस्से में जेनरेटर कक्ष का निर्माण कार्य,

1. मानक प्रपत्र : विभागीय Website- [www.sugarcane.uk.gov.in](http://www.sugarcane.uk.gov.in) पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य नियिदा, शर्त निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
2. अनुमानित लागत रु0 : 20.38 लाख  
 (कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)
3. निविदा का प्रकार : एकल प्रणाली
4. निविदा लागत G.S.T सहित) रु0 : 19.88 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रु0 : रु0 40000.00
4. A. जमानत : अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिपालि नियमावली के (नियम 44 के अन्तर्गत) वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अनिवार्यतः 5 प्रतेरत कार्यपूर्ति गारंटी (प्रतिभूति की धनराशि 2 प्रतिशत का समायोजित करते हुए) एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retention Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
5. कार्य पूरा करने का समय : 1 माह
6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति उत्तराखण्ड अधिपालि नियमावली 2017 के नियम 44 स्तर (₹) के अन्तर्गत (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये सोमेदा गूल्य रु 0.50 प्रतिशत परन्तु नियमावली के 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)।

७. निविदा की वैधता

30 निवारा

८. ठेकेदार का नाम

(जिसे निविदा फार्म बैद्या गया तथा पूरा पता)

९. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

१०. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नकों की संख्या :

  
निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी  
के  
हस्ताक्षर व सील

- 1 निविदाओं का पुहरण भी आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई सारदारता नहीं होगा।
- 2 निविदा खोलते साथे राष्ट्रिया ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपरिथित रह सकता है। निविदादाता भी अनुपारिषद्में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3 निविदा गोपारबन्द लिफाफे में राखित कर प्रत्युत की जायेगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर लिखा होना एवं विभापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
- 4 कार्य के किसी भी आइटम की मात्रायें घट/वढ़ सकती है जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई व्यलेग मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिस्प्रिंट अथवा रप्रेशाफेकेशन में अन्तर रपष्ट होता है तो केन्द्रीय लोनोविभाग की शैद्यूल की यूनिट द अधितन विरत्त रपेशिफिकेशन मान्य होगी।
- 5 कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर उत्तरामय जगा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को समिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों का कनिष्ठ अग्रियता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के सत्सम्बन्ध के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।
- 6 समरत कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेसिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। इस अवधि में Retaintion Money विभाग में जमा रहेंगी। कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्डीट्रेटर के रूप निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 7 यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
- 8 कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य ऊर्जा रटेंडिलेटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित ठेकेदार का होगा।
- 9 एक अथवा रामरत निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10 रासायन अथवा रामरत निविदा के राथ 100/रु० गूल्य का नान ज्यूडीशियल गोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत तरफ़ीकी निविदा के राथ 100/रु० गूल्य का नान ज्यूडीशियल गोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत तरफ़ा होगा जिसमें नियन्त्रित विन्दुओं का रामावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि-  
 (1) पूर्ण में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अतिप्रादि काली रांथा तारा काली रूपी में नहीं रखा गया है।  
 (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा काटी थे किसी सावध्य से कोई सम्बन्ध नहीं है कार्य प्रत्याप अथवा रामरत के लिए नियामक भी और ऐसे नियुक्ता पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।  
 (3) निविदा प्रपत्री ले राखा था वे राखी प्रपत्र वैष सप्त में प्रस्तुत किये गये है किसी तथ्य के असाध्य, प्राप्तक या अतिप्राप्तीक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब नहीं का अधिकार रामरत निवेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर क्रमान्वय नगर में निवेश होगा।

*✓ अपनाया गया*

(4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्षों के आधार पर सही है।

11. पावर आफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।
12. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
13. स्वप्रभाणित जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैमिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदारों के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जाँच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
15. कार्य की प्रगति के दौरान रनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।
16. विभाग की बिजली व पानी उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।
17. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो।
18. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)
19. शासनादेश सं0 6447/III(2)/11-20(सार)/11 दिनांक 2 जनवरी 2013 के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफारनेन्स सिव्योरिटी डिपोजिट करनी होगी।
20. बिलों से नियमानुसार जी0एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
21. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व झीतिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद करवाकर अदा करना होगा।
22. निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धरोहर राशि (एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों के पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म ले निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 के रूप में सहायक निदेशक, प्रतिभूति 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जमानत/कार्यपूर्ति गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम से निरापत हो जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect Unbillable) अवधि तक के लिए ऐध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।
23. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु ग्रामीण कार्यवाही करनी होगी। अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जमा कर निविदा निरापत कर दी जायेगी।
24. शासनादेश राया 22.38/7/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निरिदा करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25.

विभागान्तर्गत में भवन निर्माण सी श्रेणी या उच्चतर श्रेणी के ठेकेदार जिन्हें भवन कारों का पूर्व अनुभव हो सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

मैं हम

का हूँ/है। मैंने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... को पढ़ी तथा  
कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विमागीय नियम व शर्तों की  
दृष्टिगत रखते हुए मैं/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे हैं तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ  
क्वान्टिटी की दरों से ..... (अंकों व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर  
करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है-

रूपये .....

रसीद सं0.....

बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 सं0.....

दिनांक .....

४० ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दिनांक ..... में निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदायें  
स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के

हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह  
नगर के द्वारा ठेकेदार से  
प्रदान की गयी।

अनुबन्ध गठित करने की स्वीकृति दिनांक ..... में

४० अध्यक्ष

**कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,**  
**काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)**  
**निविदा आमंत्रण प्रपत्र**  
**(निविदादाता ने हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध)**

विज्ञप्ति सं.

दिनांक

मूल्य रु०- 1000.00+जी०एस०टी०

**उद्घोषणा/कार्य का नाम :** निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर ऊधमसिंह नगर के कायांत परिसर में स्थित, छात्रावास के द्वितीय तल कार्यालय के गार्डन में स्थित गार्डन लाइटो की मरम्मत एवं प्रेक्षागृह गार्डन में विद्युत सम्बन्धित कार्य

1. मानक प्रपत्र :

विभागीय Website- [www.sugarcane.uk.gov.in](http://www.sugarcane.uk.gov.in) पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, जो निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।

2. अनुमानित लागत रु० :

04.62 लाख

(कन्टीनेजेन्सी व G.S.T सहित)

2. निविदा का प्रकार :

एकल प्रणाली

3. निविदा लागत G.S.T सहित) रु० :

4.53 लाख

4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रु० :

रु० 9100.00

4. A. जमानत :

अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के (नियम 44 के अन्तर्गत) वाणिज्यिक बैंकों से निश्चित अदाता के नाम एन०एस०सी०/एफ०ड००आर० अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी (प्रतिभूति की धनराशि 2 प्रतिशत का समायोजित करते हुए) एवं प्रतिपूर्ति निषेध हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retaintion Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

5. कार्य पूरा करने का समय :

1 माह

6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (30) के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये सविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम सविदा मूल्य का 10 प्रतिशत इस्तुत जायेगा।)

7. निविदा की वैधता

30 दिवस


दार का नाम

(निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता)

केदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

(सत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नकों की संख्या :

  
निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी  
के  
हस्ताक्षर व सील

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदाये खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. निविदा सोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जायेगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्रायें घट/बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिस्प्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लो०नि०विभाग की शैड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को समिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मॉग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के सत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।
6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेसिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अवधि में Retaintion Money विभाग में जमा रहेगी। कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बाट्रेटर के रूप निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
7. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
8. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
9. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के पास सुरक्षित रहेगा।
10. तकनीकी निविदा के साथ 100/र०० मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-  
  - (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिग्राहित कर्ता संस्था द्वारा काली सूधी में नहीं रखा गया है।
  - (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा राम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
  - (3) निविदा प्रपत्रों के साथ धारे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये हैं किसी तथ्य के अरात्य, भ्रामक या अराधेधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिशूलि जब्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर ऊधमसिंह नगर में निहित होगा।

पावर आफ अटार्नी मान्द नहीं होगी।  
१२ कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

१३ स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

१४ सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्प्लिटेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदारों के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जाँच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।

१५ कार्य की प्रगति के दौरान रनिग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।

१६ विभाग की बिजली व पानी उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी। ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो।

१७ उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)

१८ शास्त्रान्वय स्त्र० ६४४/III(2)/११-२०(स०)०/११ दिनांक २ जनवरी २०१३ के अनुसार दी जा रही निविदा लागत से ५ प्रतिशत से भी कम होने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी डिजिट करनी होगी।

१९ २० दिल्ली से नियमानुसार जी०एस०टी०, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज दिलों से नियमानुसार जी०एस०टी०, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। उपलब्ध कराना होगा।

२१ २१ मैट्टरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा। डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा ढालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर क्षेत्रमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कठवाकर अदा करना होगा।

२२ २२ निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धरोहर राशि (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (क्षेत्रमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों के पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सपाह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिमूलि सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिमूलि/धरांहर की धनराशि एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० के रूप में सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (क्षेत्रमसिंह नगर के पदनाम से निर्गत हो गिर्जे से ५ प्रतिशत की धनराशि Defect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।

२३ २३ निविदा स्वीकार किए जाने के बाद ७ दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु निविदा स्वीकार होगी करनी होगी, अन्यथा २ प्रतिशत प्रतिमूलि की धनराशि जब तक कि निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

२४ २४ शास्त्रान्वय स्त्र० २२३८१७/२०२४/०८(२००)/XXVII(८)/२०२३ दिनांक १०.०७.२०२४ के अनुसार जी०एस०टी० सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा का करत समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

२५ २५ राज्य अन्तर्गत किसी राजकीय विभाग में भवन निर्माण (विद्युत कार्य) सी श्रेणी या उच्चतर श्रेणी के ठेकेदार जिन्हें भवन निर्माण (विद्युत कार्य) का पूर्व अनुमत हो सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

मैं हम .....  
का हूँ/है। मैंने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक ..... पुत्र श्री ..... निवासी .....  
कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियाँ, विमागीय नियम व शर्तों की  
दृष्टिगत रखते हुए मैं/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे हैं तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ  
क्वान्टिटी की दरों से ..... (अंको व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर  
करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है-

रूपये

रसीद सं०

बैंक ड्राफ्ट/एफ०डी०आर० सं०

दिनांक

ह० ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

में निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाएँ

आज दिनांक  
स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के

हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह  
अनुबन्ध गठित करने की स्वीकृति दिनांक ..... में

नगर के द्वारा ठेकेदार से  
प्रदान की गयी।

ह० अध्यक्ष